उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
संख्या-2/2020-वे0आ0-1-314/दस-2020-8(एम)/2016
लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/1/2020-ई-।।(बी), दिनांक 23 अप्रैल, 2020 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:--

"केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 01 जनवरी, 2020 से देय मंहगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की मंहगाई राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। 01 जुलाई, 2020 और 01 जनवरी, 2021 से देय मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान भी नहीं किया जायेगा। तथापि, मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा।

जैसे ही सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2021 से देय मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत की भावी किश्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 और 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जायेगा और उन्हें 01 जुलाई, 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जायेगा। 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जायेगा।"

2. राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दर पर मंहगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत का भुगतान किया जाता है। कोविड-19 के कारण राज्य सरकार के राजस्व में भी कमी आयी है और साथ ही कोविड-19 के रोकथाम के लिये किये जा रहे उपायों हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है। अतएव भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से देय मंहगाई भत्ता एवं इसी प्रकार राज्य सरकार के पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से देय मंहगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2019 से लागू दरों पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा।

राज्य सरकार द्वारा जैसे ही दिनांक 01 जुलाई, 2021 से देय मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की भावी किश्तों को जारी करने का निर्णय लिया जायेगा, दिनांक 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जायेगा और उन्हें 01 जुलाई, 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जायेगा। दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जायेगा।

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2020-वे0आ0-1-314(1)/दस-2020, तद्दिनांक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
(8) रीजनल प्राविडेट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड़, प्रयागराज।
(10) निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उ0प्र0 को भेजी जायेंगी)।
(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(12) निदेशक, सूचना, उ0प्र0, लखनऊ।
(13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनु0-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनु0-1 व 2, नगर विकास अनु0-1 तथा पंचायती राज अनु0-1, सार्वजनिक उद्यम अनु0-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
(15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 व 2, पुनर्गठन समन्वयन अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, कृषि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3, आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3
(16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
(17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।